

---

**The Maternity Benefit Act, 1961**  
(Act No. 53 of 1961)

**प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961**  
(1961 का अधिनियम संख्यांक 53)

---

# प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

## धाराओं का क्रम

धाराएँ	पृष्ठ
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ . . . . .	51
2. अधिनियम का लागू होना . . . . .	51
3. परिभाषाएँ . . . . .	51
4. कठिपय कालावधियों के दौरान स्थिरयों का नियोजन या उनके द्वारा काम का किया जाना प्रतिषिद्ध . . . . .	53
5. प्रसूति प्रसुविधा के संदाय के लिए अधिकार . . . . .	53
5क. कुछ दशाओं में प्रसूति प्रसुविधा का संदाय . . . . .	54
5ख. कठिपय दशाओं में प्रसूति प्रसुविधा का बना रहना . . . . .	54
6. प्रसूति प्रसुविधा के दबे की सूचना और उसका संदाय . . . . .	54
7. किसी स्त्री की मृत्यु की दशा में प्रसूति प्रसुविधा का संदाय . . . . .	54
8. चिकित्सीय बोनस का संदाय . . . . .	55
9. गर्भपात की दशा में छुट्टी . . . . .	55
9क. ट्रायोकेटोनी शल्य किया के लिए मजदूरी सहित छुट्टी . . . . .	55
10. गर्भवस्था, प्रसव, समयपूर्व शिशु जन्म, या गर्भपात से पैदा होने वाली रुग्णता के लिए छुट्टी . . . . .	55
11. पोषणार्थ विराम . . . . .	55
12. गर्भवस्था के कारण अनुपस्थिति के दौरान पदच्युति . . . . .	55
13. कठिपय मामलों में मजदूरी में से कटौती का न किया जाना . . . . .	56
14. निरीक्षकों की नियुक्ति . . . . .	56
15. निरीक्षकों की शक्ति और कर्तव्य . . . . .	56
16. निरीक्षकों का लोक सेवक होना . . . . .	56
17. संदाय किए जाने का निदेश देने की निरीक्षक की शक्ति . . . . .	56
18. प्रसूति प्रसुविधा का सम्पद्धरण . . . . .	57
19. अधिनियम और तद्धीन नियमों की संक्षिप्ति का प्रदर्शित किया जाना . . . . .	57
20. रजिस्टर आदि . . . . .	57
21. नियोजक द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के लिए शास्ति . . . . .	57
22. निरीक्षक को बाधा पहुंचाने के लिए शास्ति . . . . .	57
23. अपराधों का संज्ञान . . . . .	57
24. सद्भावपूर्वक किए गए कार्य के लिए परिचाण . . . . .	57
25. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति . . . . .	57
26. स्थापनों को छूट देने की शक्ति . . . . .	58
27. इस अधिनियम से असंगत विधियों और करारों का प्रभाव . . . . .	58
28. नियम बनाने की शक्ति . . . . .	58
29. 1951 के अधिनियम 69 का संशोधन . . . . .	59
30. निरसन . . . . .	59

## प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

(1961 का अधिनियम संख्यांक 53)

[12 दिसंबर, 1961]

कतिपय स्थापनों में शिशु जन्म के पूर्व और पश्चात् की कतिपय कालावधियों  
में स्त्रियों के नियोजन को विनियमित करने तथा प्रसूति प्रसुविधा और  
कतिपय अन्य प्रसुविधाओं का उपबंध  
करने के लिए  
अधिनियम

भारत के गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) यह अधिनियम प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार<sup>1\*\*\*</sup> संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख<sup>2</sup> को प्रवृत्त होगा, जो—

<sup>3</sup>[(क) स्थानों के संबंध में और किसी ऐसे अन्य स्थापन के संबंध में, जिसमें लोगों की घुड़सवारी, कलाबाजी और अन्य करतबों के प्रदर्शन के लिए नियोजित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा; तथा]  
<sup>4</sup>[(ख) किसी राज्य के अन्य स्थापनों के संबंध में, उस राज्य सरकार द्वारा, शासकीय राजपत्र में इस नियमित अधिसूचित की जाए।]

2. अधिनियम का लागू होना—<sup>4</sup>[(1) यह प्रथमतः—

(क) हर ऐसे स्थापन को जो कारबाना, खान या आगान है, जिसके अंतर्गत सरकार का ऐसा कोई स्थापन भी है और प्रत्येक ऐसे स्थापन को लागू होता है जिसमें लोगों की घुड़सवारी, कलाबाजी और अन्य करतबों के प्रदर्शन के लिए नियोजित किया जाता है;

(ख) किसी राज्य में दुकानों और स्थापनों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अर्थ के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक दुकान या स्थापन को लागू होता है जिसमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित है या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन नियोजित थे:]

परन्तु राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, ऐसा करने के अपने आशय की दो मास से अन्यून की सूचना देने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम के सब या कोई उपबंध औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषिक या अन्य प्रकार के किसी अन्य स्थापन या स्थापनों के वर्ग को भी लागू होंगे।]

(2) <sup>5</sup>[(धारा 5क और धारा 5ख) में जैसा अन्यथा उपविधित है उसके सिवाय इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी वार] किसी ऐसे कारबाने या अन्य स्थापन को लागू न होगी—जिसे कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के उपबंध तत्समय लागू होते हों।

3. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “समुचित सरकार” से ऐसे स्थापन के संबंध में, जो खान है<sup>7</sup> [या ऐसा स्थापन है जिसमें लोगों की घुड़सवारी, कलाबाजी और अन्य करतबों के प्रदर्शन के लिए नियोजित किया जाता है,] केन्द्रीय सरकार और किसी अन्य स्थापन के संबंध में राज्य सरकार अभिग्रह देता है;

(ख) “शिशु” के अंतर्गत मृतजात शिशु भी है;

1. 1970 के अधिनियम सं. 51 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा (1-9-1971 से) “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों का लोप किया गया।
2. 1 नवंबर, 1963: देखिए अधिसूचना सं. का. धा. 2920, तारीख 5 अक्टूबर, 1963, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), भाग 2, छंड 3(ii), पृ. 3735।
3. 1973 के अधिनियम सं. 52 की धारा 2 द्वारा (1-3-1975 से) छंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 2 द्वारा (10-1-1989 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1972 के अधिनियम सं. 21 की धारा 2 द्वारा “इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी वार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1976 के अधिनियम सं. 53 की धारा 2 द्वारा (1-5-1976 से) “धारा 5क” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 1973 के अधिनियम सं. 52 की धारा 4 द्वारा (1-3-1975 से) अंतःस्थापित।

(ग) "प्रसव" से शिशु का जन्म अभिप्रेत है;

(घ) "नियोजक" से—

(i) किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जो सरकार के नियंत्रण के अधीन है, कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या प्राधिकारी, या जहाँ कोई भी व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसे नियुक्त नहीं है वहाँ विभागाध्यक्ष, अभिप्रेत है

(ii) किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन के स्थापन के संबंध में, कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति या जहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसे नियुक्त नहीं है, वहाँ उस स्थानीय प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक अफिसर अभिप्रेत है;

(iii) किसी अन्य दशा में, वह व्यक्ति या वह प्राधिकारी जो स्थापन के कार्यकलाप पर अंतिम नियंत्रण रखता है और जहाँ उक्त कार्यकलाप किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा गया है, चाहे वह प्रबंधक, प्रबंध-निदेशक, प्रबंध-अधिकारी कहलाता है या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता है, वहाँ ऐसा व्यक्ति, अभिप्रेत है;

<sup>1</sup>[(ङ) "स्थापन" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) कोई कारखाना;

(ii) कोई घान;

(iii) कोई बागान;

(iv) कोई ऐसा स्थापन जिसमें लोगों को घुड़सवारी, कलाओं और अन्य करतबों के प्रदर्शन के लिए नियोजित किया जाता है; <sup>2</sup>[\*\*]

<sup>3</sup>[(ivक) कोई दुकान या स्थापन; या]

(v) कोई ऐसा स्थापन जिसे इस अधिनियम के उपबंध धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन लागू घोषित किए गए हैं।]

(च) "कारखाना" से कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ट) में यथापरिभाषित कारखाना अभिप्रेत है;

(छ) "निरीक्षक" से धारा 14 के अधीन नियुक्त निरीक्षक अभिप्रेत है;

(ज) "प्रसूति प्रसुविधा" से धारा 5 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संदाय अभिप्रेत है;

<sup>4</sup>[(जक) "गर्भ का चिकित्सीय समापन" से गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34) के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय गर्भ का समापन अभिप्रेत है;]।

(झ) "खान" से खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 2 के खंड (ब) में यथापरिभाषित खान अभिप्रेत है;

(ञ) "गर्भपात" से गर्भावस्था के छव्वीसवें साताह के पूर्व या दोरान की किसी कालावधि में सार्व गर्भाशय की अंतर्वस्तुओं का निष्कासन अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसा गर्भपात नहीं आता है जिसका कारित किया जाना भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दंडनीय है;

(ट) "बागान" से बागान अधिनियम, 1951 (1951 का 69) की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित बागान अभिप्रेत है;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) "राज्य सरकार" से किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(ढ) "मजदूरी" से वह सब पारिश्रमिक अभिप्रेत है जो किसी स्त्री को, नक्हों में संदर्भ किया गया या यदि नियोजन की संविदा के अधिव्यवस्था या विवक्षित निवधानों की पूर्ति हो गई होती तो संवेद्य होता और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी आते हैं—

(1) ऐसे नकद भरो (जिनके अंतर्गत मंडगाई भत्ता और गृह भाटक भत्ता भी है) जिनकी कोई स्त्री तत्समय हकदार हो;

(2) प्रोत्साहन बोनस; तथा

(3) खाद्यान्नों या अन्य वस्तुओं के रियायती प्रदाय का धन मूल्य,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(i) प्रोत्साहन बोनस से भिन्न कोई बोनस;

1. 1973 के अधिनियम सं. 52 की धारा 4 द्वारा (1-3-1975 से) खंड (ञ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 3 द्वारा (10-1-1989 से) शब्द "या" का लोप किया गया।

3. 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 3 द्वारा (10-1-1989 से) अंतःस्थापित।

4. 1995 के अधिनियम सं. 29 की धारा 2 द्वारा (1-2-1996 से) अंतःस्थापित।

- (ii) अतिकालिक उपार्जन और जुमानों के लिए की गई कोई कटौती या संदाय;
  - (iii) किसी पेशन निधि या भविष्य निधि में या उस स्त्री की प्रसुविधा के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नियोजक द्वारा संदर्भ या संदेय कोई अभिन्न हो या किसी अधिकारण के माध्यम से।
  - (iv) सेवा के पर्यावरण पर संदेय कोई उपार्जन;
- (ग) "स्त्री" से किसी स्थापन में मजदूरी पर नियोजित स्त्री अभिन्न है चाहे वह सीधे नियोजित हो या किसी अधिकारण के माध्यम से।

4. कतिपय कालावधियों के दौरान स्त्रियों का नियोजन या उनके द्वारा काम का किया जाना प्रतिष्ठित—(1) कोई भी नियोजक किसी स्त्री को उसके प्रसव<sup>1</sup> [गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन] के दिन के अव्यवहित पश्चात्वर्ती छह सप्ताह के दौरान किसी स्थापन में जानते हुए नियोजित न करेगा।

(2) कोई भी स्त्री अपने प्रसव<sup>1</sup> [गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन] के दिन के अव्यवहित पश्चात्वर्ती छह सप्ताह के दौरान किसी स्थापन में काम नहीं करेगी।

(3) शारा 6 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि किसी भी गर्भवती स्त्री से इस नियमित उसके द्वारा प्रार्थना की जाने पर, उपधारा (4) में विनिरिट कालावधि के दौरान उसके नियोजक द्वारा कोई ऐसा काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जो कठिन प्रकृति का हो या जिसमें वीर्धकाल तक छड़ा रहना अपेक्षित हो या जिससे उसके गर्भवतित्र में या धून के प्रसामान्य विकास में किसी भी प्रकार विघ्न होना संभाय हो या जिससे उसका गर्भपात कारित होना या अन्यथा उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाय हो।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट कालावधि निम्नलिखित होगी—

(क) उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख के पूर्व के छह सप्ताह की कालावधि के अव्यवहित पूर्ववर्ती एक मास की कालावधि;

(छ) उक्त छह सप्ताह की कालावधि के दौरान की कोई कालावधि जिसके लिए वह गर्भवती स्त्री अनुपस्थिति की हुई का उपभोग धारा 6 के अधीन नहीं करती।

5. प्रसूति प्रसुविधा के संदाय के लिए अधिकार—<sup>2</sup>[(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यय्योन रहते हुए, हर स्त्री अपनी वास्तविक अनुपस्थिति की कालावधि, अर्थात् अपने प्रसव के दिन के अव्यवहित पूर्ववर्ती कालावधि, अपने प्रसव के वास्तविक दिन और उस दिन की अव्यवहित पश्चात्वर्ती किसी कालावधि, के लिए औसत दैनिक मजदूरी जी हर पर प्रसूति प्रसुविधा के संदाय की हकदार होगी और उसका नियोजक उसके लिए दायी होगा।]

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए औसत दैनिक मजदूरी से उस तारीख के, जिससे वह स्त्री प्रसूति के कारण अनुपस्थित होती है, अव्यवहित पूर्ववर्ती तीन कलौंडर मासों की कालावधि के दौरान के उन दिनों के लिए जिन दिनों उसने काम किया है उसको संदेय उसकी मजदूरी का औसत<sup>3</sup> [मजदूरी, संदाय अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन नियत या पुनरीक्षित मजदूरी की न्यूनतम दर या दस रुपए प्रतिदिन, जो भी अधिक हो]।

(2) कोई भी स्त्री प्रसूति प्रसुविधा की तब तक हकदार न होगी, जब तक उसने अपने प्रत्याशित प्रसव की तारीख के अव्यवहित पूर्ववर्ती आठ मासों में<sup>3</sup> [अस्सी दिन] से अन्यून दिन की कालावधि पर्यंत उस नियोजक के जिससे प्रसुविधा का वह दाता करती है किसी स्थापन में वस्तुतः काम न किया हो:

परंतु पूर्वोक्त<sup>3</sup> [अस्सी दिन] की अर्द्धक कालावधि उस स्त्री को लागू न होगी जिसने असम राज्य में अप्रवास किया हो और अप्रवास के समय गर्भवती रही हो।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के अधीन उन दिनों की जिन दिनों स्त्री ने स्थापन में वस्तुतः काम किया संगणना करने के प्रयोजनार्थ, उन दिनों को गणना में लिया जाएगा जिन दिनों उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख के अव्यवहित पूर्ववर्ती आठ मास की कालावधि के दौरान<sup>3</sup> [उसकी कामवर्ती की गई हो या वह ऐसे अवकाश पर हो जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजदूरी सहित अवकाश घोषित किया गया हो]।

<sup>3</sup>[(3) वह अधिकतम कालावधि, जिसके लिए कोई स्त्री प्रसूति प्रसुविधा की हकदार होगी, आठ सप्ताह होगी, जिसमें से छह सप्ताह से अनधिक उसके प्रसव की प्रत्याशित तारीख से पूर्व होगी।]

1. 1995 के अधिनियम सं० 29 के धारा 3 द्वारा (1-2-1996 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1988 के अधिनियम सं० 61 की धारा 4 द्वारा (10-1-1989 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. 1988 के अधिनियम सं० 61 की धारा 4 द्वारा (10-1-1989 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

परंतु जहाँ कि कोई स्त्री इस कालावधि के दौरान मर जाए, वहाँ प्रसूति प्रसुविधा उसकी मृत्यु के दिन तक के लिए ही, जिसके अंतर्गत वह दिन भी समिलित होगा, संदेय होगी:

<sup>1</sup>[परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई स्त्री शिशु को जन्म देकर अपने प्रसव के दौरान या अपने प्रसव की तारीख के अव्यवहित पश्चात्वर्ती उस कालावधि के दौरान, जिसके लिए वह प्रसूति प्रसुविधा के लिए हकदार है, इन दोनों दशाओं में से किसी भी दशा में उस शिशु को छोड़कर मर जाती है, वहाँ नियोजक उस संपूर्ण कालावधि के लिए, यदि शिशु भी उव्वत्त कालावधि के दौरान मर जाए तो शिशु की मृत्यु के दिन तक की, जिसमें वह दिन भी समिलित होगा, कालावधि के लिए, प्रसूति प्रसुविधा का दायी होगा।]

<sup>2</sup>[5क. कुछ दशाओं में प्रसूति प्रसुविधा का बना रहना—इस अधिनियम के अधीन प्रसूति प्रसुविधा पाने की हकदार हर स्त्री, उस कारणाने या अन्य स्थापन को जिसमें वह नियोजित है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के लागू होते हुए भी, तब तक पूर्ववत् हकदार बनी रहेगी जब तक वह उस अधिनियम की धारा 50 के अधीन प्रसूति प्रसुविधा का दावा करने के लिए अद्वित न हो जाए।]

<sup>3</sup>[5ख. कतिपय दशाओं में प्रसूति प्रसुविधा का संदाय—प्रत्येक स्त्री—

(क) जो किसी ऐसे कारणाने अथवा अन्य स्थापन में नियोजित है जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के उपबंध लागू होते हैं;

(घ) जिसकी मजदूरी (अतिकाल काम के लिए पारिश्रमिक को छोड़कर) एक मास के लिए उस अधिनियम की धारा 2 के छंड (9) के उपछंड (घ) में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है; और

(ग) जो धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति करती है

हस अधिनियम के अधीन प्रसूति प्रसुविधा के संदाय की हकदार होगी।]

6. प्रसूति प्रसुविधा के दावे की सूचना और उसका संदाय—(1) किसी स्थापन में नियोजित और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रसूति प्रसुविधा की हकदार स्त्री अपने नियोजक को ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, यह कथन करते हुए लिखित सूचना दे सकती कि उसकी प्रसूति प्रसुविधा और कोई अन्य रकम, जिसकी वह इस अधिनियम के अधीन हकदार हो, उसे या उस व्यक्ति को, जिसे वह सूचना में नामनिर्देशित करे संदर्भ की जाए और यह कि वह उस कालावधि के दौरान जिसके लिए वह प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करती है किसी स्थापन में कार्य नहीं करेगी।

(2) ऐसी स्त्री की दशा में जो गर्भवती है ऐसी सूचना में वह तारीख कथित होगी जिससे वह काम से अनुपस्थित रहेगी और वह तारीख उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख से छह सप्ताह के पूर्वतर की नहीं होगी।

(3) कोई स्त्री जिसने तब सूचना न दी हो जब वह गर्भवती थी, प्रसव के पश्चात् यथासंभव शीघ्र ऐसी सूचना दे सकती।

<sup>4</sup>[4(4) उस सूचना की प्राप्ति पर नियोजक उस स्त्री को यह अनुमति देगा कि वह उस कालावधि के दौरान, जिसके लिए वह प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करती है स्थापन से अनुपस्थित रहे।]

(5) किसी स्त्री के प्रत्याशित प्रसव की तारीख की पूर्ववर्ती कालावधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की रकम, हस बात के कि वह स्त्री गर्भवती है ऐसे संबूत के जैसा विहित किया जाए, येश किए जाने पर, उस स्त्री को नियोजक द्वारा अधिम नी जाएगी, और पश्चात्वर्ती कालावधि के लिए देय रकम, इस बात के कि उस स्त्री ने शिशु का प्रसव किया है ऐसे संबूत के जैसा विहित किया जाए, पेश किए जाने के अड़तलीस घटों के अंदर उस स्त्री को नियोजक द्वारा संदर्भ की जाएगी।

(6) इस धारा के अधीन सूचना न दे पाना किसी स्त्री को इस अधिनियम के अधीन प्रसूति प्रसुविधा या किसी अन्य रकम के हक से वंचित न करेगा यदि वह ऐसी प्रसुविधा या रकम के लिए अन्यथा हकदार हो और ऐसे किसी मामले में निरीक्षक या तो स्वप्रेरणा से या उसको उस स्त्री द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसी प्रसुविधा या रकम का संदाय ऐसी कालावधि के अंदर करने का आवेदन दे सकता जो उस आवेदन में विनिर्दिष्ट हो।

7. किसी स्त्री की मृत्यु की दशा में प्रसूति प्रसुविधा का संदाय—यदि इस अधिनियम के अधीन प्रसूति प्रसुविधा या किसी अन्य रकम की हकदार कोई स्त्री ऐसी प्रसूति प्रसुविधा या रकम को प्राप्त करने से पूर्व मर जाए तो, या जहाँ नियोजक धारा 5 की उपधारा (3) के वित्तीय परंतुक के अधीन प्रसूति प्रसुविधा का दायी हो वहाँ नियोजक ऐसी प्रसुविधा या रकम धारा 6 के अधीन दी

1. 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 4 द्वारा (10-1-1989 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1972 के अधिनियम सं. 21 की धारा 3 द्वारा (1-6-1972 से) अंतःस्थापित।

3. 1976 के अधिनियम सं. 53 की धारा 3 द्वारा (1-5-1976 से) अंतःस्थापित।

4. 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 5 द्वारा (10-1-1989 से) उपधारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

गई सूचना में स्त्री द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति को, और उस दशा में जबकि कोई ऐसा, नामनिर्देशिती न हो उसके विधिक प्रतिनिधि को, संदर्भ करेगा।

8. चिकित्सीय बोनस का संदाय—यदि नियोजक द्वारा प्रसवार्थ व्यवस्था और प्रसवोत्तर देखरेख का कोई भी उपबंध निःशुल्क न किया गया हो तो इस अधिनियम के अधीन प्रसूति प्रसुविधा की हकदार हार स्त्री अपने नियोजक से [दो सौ पचास रुपए] का चिकित्सीय बोनस भी पाने की हकदार होगी।

<sup>2</sup>[9. गर्भपात, आदि की दशा में छुट्टी—गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन की दशा में, कोई स्त्री, ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसा विहित किया जाए, यथास्थिति, अपने गर्भपात या अपने गर्भ के चिकित्सीय समापन के दिन के अव्यवहित पश्चात्वर्ती छह सप्ताह की कालावधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी सहित छुट्टी की हकदार होगी।]

<sup>3</sup>[9क. दृढ़बेक्टोमी शल्यक्रिया के लिए मजदूरी सहित छुट्टी—दृढ़बेक्टोमी शल्यक्रिया की दशा में, कोई स्त्री, ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसा विहित किया जाए, अपनी दृढ़बेक्टोमी शल्यक्रिया के दिन के अव्यवहित पश्चात्वर्ती दो सप्ताह जी कालावधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी सहित छुट्टी की हकदार होगी।]

10. गर्भावस्था, प्रसव, समयपूर्व शिशु जन्म या गर्भपात से पैदा होने वाली रणनीता के लिए छुट्टी—गर्भावस्था, प्रसव, समयपूर्व शिशु जन्म, <sup>4</sup>[गर्भपात, गर्भ के चिकित्सीय समापन या दृढ़बेक्टोमी शल्य-क्रिया] से पैदा होने वाली रणनीता से पीड़ित स्त्री, ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसा विहित किया जाए, यथास्थिति, धारा 6 या धारा 9 के अधीन उसे अनुज्ञात अनुपस्थिति कालावधि के अतिरिक्त, प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी सहित अधिकतम एक मास की कालावधि जी छुट्टी की हकदार होगी।

11. पोषणार्थ विराम—हार प्रसूता स्त्री को जो प्रसव के पश्चात काम पर वापस आती है उसे विश्रामार्थ अंतराल के अतिरिक्त जो उसे अनुज्ञात है अपने दैनिक काम की चर्चा में विहित कालावधि के तो विराम शिशु के पोषण के लिए तब तक अनुज्ञात होगे, जब तक वह शिशु पंद्रह मास की आयु पूरी न कर ले।

12. गर्भावस्था के कारण अनुपस्थिति के दौरान पदच्युति—(1) जब कोई स्त्री काम पर से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुपस्थित रहती है तब उसके नियोजक के लिए यह विधिविरुद्ध होगा कि वह उसे ऐसी अनुपस्थिति के दौरान या कारण उन्मोचित या पदच्युत करे या उसे उन्मोचन या पदच्युति की सूचना ऐसे दिन दे कि वह सूचना ऐसी अनुपस्थिति के दौरान अवसित हो, या उसकी सेवा की शर्तों में से किसी में उसके लिए अहितकर फेरफार करे।

(2) (क) किसी स्त्री का, उसकी गर्भावस्था के दौरान किसी समय उन्मोचन या पदच्युति का प्रभाव उसे प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस से वंचित करना न होगा, यदि वह स्त्री ऐसे उन्मोचन या पदच्युति के अभाव में, धारा 8 में निर्दिष्ट प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस की हकदार होती :

परंतु जहाँ कि पदच्युति किसी विहित घोर अवचार के कारण हो वहाँ नियोजक स्त्री को संसूचित लिखित आदेश द्वारा उसे प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस या दोनों से वंचित कर सकेगा।

<sup>5</sup>[(ख) प्रसूति प्रसुविधा, या चिकित्सीय बोनस, या दोनों से, वंचित या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार काम से अपनी अनुपस्थिति के दौरान या उसके कारण सेवोन्मुक्त या पदच्युत स्त्री, उस तारीख से, साठ दिन के भाँतर जिसको ऐसे वंचित या सेवोन्मुक्त या पदच्युत किए जाने का आदेश उसे संसूचित किया गया हो, ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, अपील कर सकेगी और ऐसी अपील पर उस प्राधिकारी का यह विनियोग अंतिम होगा कि स्त्री को प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस, या दोनों से, वंचित या सेवोन्मुक्त या पदच्युत किया जाना चाहिए या नहीं।]

(ग) इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रभाव न होगी।

1. 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 6 द्वारा (10-1-1989 से) "पच्चीस रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1995 के अधिनियम सं. 29 की धारा 4 द्वारा (1-2-1996 से) धारा 9 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. 1995 के अधिनियम सं. 29 की धारा 5 द्वारा (1-2-1996 से) अंतर्व्यापित।

4. 1995 के अधिनियम सं. 29 की धारा 6 द्वारा (1-2-1996 से) प्रतिस्थापित।

5. 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 7 द्वारा (10-1-1989 से) प्रतिस्थापित।

13. कतिपय मामलों में मजदूरी में से कटौती का न किया जाना—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रसूति प्रसुविधा की हकदार स्त्री की प्रसामन्य और प्राथिक दैनिक मजदूरी में से केवल—

(क) धारा 4 की उपधारा (3) में अन्तर्धिष्ट उपबन्धों के आधार पर उसे समनुदिष्ट काम की प्रकृति; अथवा

(ख) धारा 11 के उपबन्धों के अधीन उसे शिशु के पोषण के लिए अनुज्ञात विरामों, के ही कारण कोई भी कटौती नहीं की जाएगी।

14. निरीक्षकों की नियुक्ति—समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे आफिसरों को, जिन्हें वह ठीक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और अधिकारिता की ये स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगी जिनके अन्दर वे इस अधिनियम के अधीन के अपने कृत्यों का प्रयोग करेंगे।

15. निरीक्षकों की शक्ति और कर्तव्य—निरीक्षक, ऐसे निर्बन्धनों या शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, निम्नलिखित सब शक्तियों का या उनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) ऐसे सहायकों के साथ, यदि कोई हो, जो सरकार की या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारी की सेवा में के व्यक्ति हों, और जिन्हें वह ठीक समझे, किसी भी ऐसे परिसर या स्थानों में जहाँ स्थापन में हित्रों को नियोजित किया जाता है, या काम दिया जाता है, किन्हीं ऐसे रजिस्टरों, अभिलेखों और सूचनाओं की जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन रखे या प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं; परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश करना और उन्हें निरीक्षण के लिए पेश करने की अपेक्षा करना;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करना, जिसे वह किसी ऐसे परिसर या स्थान में पाए और जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त देतुक हो कि वह उस स्थापन में नियोजित है:

परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस धारा के अधीन ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या ऐसा साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जिसकी प्रवृत्ति स्वयं उसे अपराध में फँसाने की हो;

(ग) नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह नियोजित स्त्रियों के नामों और पतों, उन्हें किए गए संदायों और इस अधिनियम के अधीन उनसे प्राप्त आवेदनों या सूचनाओं के बारे में जानकारी दें; तथा

(घ) किन्हीं रजिस्टरों और अभिलेखों या सूचनाओं या उनके किन्हीं प्रभागों की प्रतिलिपियां लेना।

16. निरीक्षकों का लोक सेवक होना—इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया हर निरीक्षक भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझा जाएगा।

17. संदाय किए जाने का निर्देश देने की निरीक्षक की शक्ति—<sup>1(1)</sup> (1) इस बात का दावा करने वाली कोई भी स्त्री कि—

(क) प्रसूति प्रसुविधा या कोई अन्य रकम, जिसका वह इस अधिनियम के अधीन हकदार है, अनुचित रूप से विधारित की गई है, और इस बात का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति कि वह संदाय, जो धारा 7 के अधीन शोध्य है, अनुचित रूप से विधारित किया गया है;

(ख) उसके नियोजक ने इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, काम से उसकी अनुपस्थिति के दौरान या उसके कारण, उसको सेवोन्युक्त या पदच्युत कर दिया है,

निरीक्षक को परिवाद कर सकेगी।

(2) निरीक्षक, स्वप्रेरणा से या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिवाद की प्राप्ति पर, जांच कर सकेगा या करा सकेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि—

(क) संदाय सदोषतः विधारित किया गया है, तो वह अपने आदेशों के अनुसार संदाय किए जाने का निर्देश दे सकेगा;

(ख) स्त्री को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, काम से उसकी अनुपस्थिति के दौरान या उसके कारण सेवोन्युक्त या पदच्युत किया गया है, तो वह ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत और उचित हों।]

(3) निरीक्षक के उपधारा (2) के अधीन के विनिश्चय से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको ऐसा विनिश्चय ऐसे व्यक्ति को संसूचित किया जाए, तीस दिन के भीतर अपील विहित प्राधिकारी को कर सकेगा।

(4) जहाँ उपधारा (3) के अधीन कोई अपील विहित प्राधिकारी को की गई हो, वहाँ उसका, और जहाँ ऐसी अपील न की गई हो, वहाँ निरीक्षक का विनिश्चय अंतिम होगा।

1. 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 8 द्वारा (10-1-1989 से) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

निष्पादन करने के संबंध में ऐसे निर्देश दे सकेंगी जो बढ़ आवश्यक समझे और राज्य सरकार ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

26. स्थापनों को छूट देने की शक्ति—यदि समुद्रभूत सरकार का समाजन हो जाए कि ऐसी प्रसुविधाओं के, जो इस अधिनियम में उपचलित प्रसुविधाओं से कम अनुकूल न हों, अनुदान का उपबन्ध करने वाले किसी स्थापन को या स्थापनों के बार्यों को अधीन में रहते हुए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना दाता। उस स्थापन को या स्थापनों के बार्यों को इस अधिनियम के या तदनीन बनाए गए विविध नियम के अधीन या किसी उपबन्धों के प्रवर्तन से ऐसी शर्तों और निर्बन्धों के, यदि कोई हों, अधिसूचना में विविटिष्ट किए जाएं, छूट दे सकेंगी।

27. इस अधिनियम से असंगत विधियों और कारणों का प्रमाण—(1) इस अधिनियम के उपबन्ध उनसे असंगत लिखी आत के किसी अन्य विधि में या किसी शासकीय राजपत्र या सेवा-संविधा के निवन्धनों में, चाहे वह इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने के पृथक चाहे पश्चात बनाई गई, किसी विधि या की पाई हो, अन्तर्विष्ट होते हुए भी प्रभावी होंगे:

परन्तु जहाँ किसी ऐसे अधिनियम, क्रार, नियम-संविधा के अधीन या अन्यथा कोई स्त्री किसी आत के बारे में ऐसी प्रसुविधाओं की हकदार हो, जो उसके लिए उन प्रसुविधाओं से अधिक अनुकूल हों, जिनकी यह इस अधिनियम के अधीन हकदार होती, वहाँ वह स्त्री उस बात के बारे में अधिक अनुकूल प्रसुविधाओं की हकदार इस आत के होते हुए भी वर्ती रहेगी कि वह स्त्री अन्य आतों के बारे में, इस अधिनियम के अधीन प्रसुविधाएँ प्राप्त करने की हकदार है।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी आत का ऐसा अर्थ नहीं दाता या जाएगा, जो किसी स्त्री को इस बात से प्रवारित करे कि वह अपने नियोजक से ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों के अनुदान के लिए अरार करे जो उसे उनसे अधिक अनुकूल हों, जिनकी यह इस अधिनियम के अधीन हकदार होती है।

28. नियम बनाने की शक्ति—(1) अधिकृत सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यर्थन रहते हुए और इस अधिनियम के प्रयोजनों को अधिनियम करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना दाता, ज्ञा सकेंगी।

(2) विशिष्ट: और पूर्वामी शक्ति की व्यापकता पर परिकृत प्रभाव दाते जिन ऐसे नियम निर्माणित के लिए उपबन्ध कर सकते—

(क) एजिस्टरों, ब्रिलिनेंटों और मस्टर-सेलों को तेहार करना और बनाए रखना;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षकों दाता शक्तियों का (जिनके अन्तर्गत स्थापनों का निरीक्षण आता है) प्रयोग और कर्तव्यों का पालन;

(ग) प्रसूति प्रसुविधा और इस अधिनियम के अधीन की अन्य प्रसुविधाओं के संदाय का ढंग, वहाँ तक अहाँ तक उसके लिए इस अधिनियम में उपबन्ध किया गया है;

(घ) धारा 6 के अधीन की सूचनाओं का प्रसूति;

(ङ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित सबूत की प्रकृति;

(च) धारा 11 में विविटिष्ट पोषणार्थ विरामों की कालावधि;

(ज) वे कार्य, जो धारा 12 के प्रयोजनों के लिए बारे अवधार करिते हैं;

(ज) वह प्राचिकारी, जिसको धारा 12 की उपधारा (2) के स्पष्ट (ग) के अधीन अपील होती; वह प्रकृप और रीति, जिसमें ऐसी अपील की जा सकती और वह प्रविधि, जिसका अनुसरण उसे निपटाने में किया जाना है;

(झ) वह प्राचिकारी, जिसको धारा 17 के अधीन निरीक्षक के विशद अपील होती; वह प्रकृप और रीति, जिसमें ऐसी अपील की जा सकती और वह प्रविधि, जिसका अनुसरण उसे निपटाने में किया जाना है;

(ঝ) वह प्रकृप और रीति, जिसमें धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षक से परिवाद किए जा सकेंगे और वह प्रक्रिया, जिसका अनुसरण उस आता भी उपधारा (2) के अधीन जांच करने या करने में उनके द्वारा किया जाना है;

(ঠ) कोई अन्य बात, जो विहित की जानी है या की जाए।

1[(3) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अधिक दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती। यदि उस सत्र के या पूर्वोंतर अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसरान के पूर्व दोनों

1. 1973 के अधिनियम सं. 52 की धारा 5 द्वारा (1-3-1973 से) अनियमित।

सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रमाणी होगा। यदि उक्त अवधान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं अनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिगान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

29. 1951 के अधिनियम 69 का संशोधन—बायान श्रम अधिनियम, 1951 की धारा 32 में,—

- (क) उपधारा (1) में, शब्द “अहिंत विकित्सा-व्यवसायी” के पूर्व कोष्ठक और अक्षर “(क)”, शब्द “रुग्णता भत्ता”, के पश्चात् के शब्द “तथा”, और स्थान (ख) लुप्त कर दिए जाएंगे;
- (ख) उपधारा (2) में शब्द “या प्रसूति” लुप्त कर दिए जाएंगे।

30. निरसन—इस अधिनियम के—

- (i) खानों को लागू होने पर, वि माइन्स मेटरिटी बेनिफिट ऐक्ट, 1941 (1941 का 19); तथा
- (ii) विल्ली संघ राज्यक्षेत्र में स्थित कारखानों को लागू होने पर आच्छ मेटरिटी बेनिफिट ऐक्ट, 1929 (1929 का मुख्य अधिनियम 7) जैसा वह उस राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त है,

निरसित हो जाएगा।

### उद्देशयों और कारणों का कथन

वर्तमान में प्रसूति संरक्षण का उपबंध इस विषय पर विभिन्न राज्य अधिनियमों और तीन केन्द्रीय अधिनियमों, अर्थात् खान और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1941, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 और बागान अम अधिनियम, 1951 के अधीन किया गया है। लहड़क दशाओं, कालावधि और फायदे की दर आदि से संबंधित उनके उपबंधों में विचारणीय विविधता है। प्रस्तावित विधान, यथासंभव इस लाभत विद्यमान व्यक्तिमानताओं को कम करने के लिए है। यह सभी स्थापनाओं को, जिसके अंतर्गत कारखाने और बागान भी हैं, लागू होगा। उसके सिवाय, जिनको कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंध उस अधिनियम को यथासंभव लागू हैं।

2. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट मुद्दय उपबंधों की व्याख्या करते हैं।

नई दिल्ली;  
21 नवंबर, 1960

जी० एल० लंदा